भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1286

(दिनांक 09.02.2022 को उत्तर के लिए)

सीबीआई को सिफारिश किए गए मामले

1286. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा सीबीआई से जांच के लिए सिफारिश किए गए मामलों का मामला-वार ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में से उन मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो सीबीआई द्वारा जांच के लिए अस्वीकार कर दिए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त मामलों की वर्तमान स्थिति और उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी सीबीआई द्वारा जांच शुरू की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के अनुसार सीबीआई से जांच के लिए सिफारिश किए गए संदर्भों का विवरण इस प्रकार है:

प्राप्त हुए संदर्भ	संदर्भ जिनमें मामले पंजीकृत किए गए	पंजीकृत मामलों की संख्या
12	10	37

(ग) : जांच/विचारण के विभिन्न चरण पर उपर्युक्त 37 मामलों की स्थिति इस प्रकार है:-

जांच चरण - 02
बंद किए गए - 07
विचारण चरण पर - 27
दोषमुक्ति - 01

****